

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(1)नविवि / ॥ / 2011

जयपुर, दिनांक 22 MAY 2018

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के सहायक नगर नियोजकों (पीआर) की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित को जाती है:-

क्र.सं	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष एवं माध्यम		विशेष विवरण
		डीपीसी	आरपीएससी	
1.	श्री सर्वेश्वर शरण व्यास	—	2014–15	—
2.	श्री पवन कुमार काबरा	—	2014–15	—
3.	श्री मुकेश जांगिड़	—	2014–15	—
4.	श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार	—	2014–15	—
5.	सुश्री प्रीति शर्मा	—	2014–15	—
6.	श्री सैयद वसीम अख्तर	—	2014–15	—

जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से अरंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में यदि कोई आपत्ति विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website:www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से


 (अर्जुन राम चौधरी)
 संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय